

14.2.2015

उत्पन्न है। कृषक शर्मा का पत्र मूल में
 स्थिति में विवक्षा इस प्रकार है कि मोंदा टपावे की
 की आठ मी 14.67/34.8 को से 0.22 व अणु 15.10/3.67 का 0.23 हेक्टर क्षेत्र में मंत्रालय
 कोषा 0.1 के लागू की है। उक्त आवधिकार
 को लागू के पूर्व शर्मा के पिता के नाम ही को
 थी। कृषकान में उक्त आवधिकार विभाजन व
 वृद्ध शर्मा या शर्मा के ही पाते हैं मंत्रालय शर्मा
 को आवधिकार में खेद करने पर उताड़ है।
 अतः मंत्रालय विशेषज्ञ को पाठक शर्मा पावे
 करने पर शर्मा का अवलोकन किया कि मंत्रालय
 पर भयत शर्मा। शर्मा का पत्र मंत्रालय आवधिकार
 का शर्मा को शर्मा के अंतर्गत नहीं है।
 मंत्रालय शर्मा का पत्र मंत्रालय पर मूल पर
 में मंत्रालय मंत्रालय लिखें पाठक शर्मा का पत्र

सहायक
 विपणन अधिकारी
 मंत्रालय

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए।

निर्णय क्षेत्र। सख्त इच्छा जामुना, अपरखण्ड
प्रति व सुविधा लक्ष्मण सखी के पास में नही
बजता है। सखी का प्रत्येक पत्र सखीम विषय
पता है। सखीम ही प्रत्येक सखीम विषय
रुम ही। सखीम सखीम सखीम।

सहायक कमिश्नर
(अपरखण्ड अधिकारी)
सखीम, जिला-दिल्ली